अध्याय VIII: पर्यटन मंत्रालय

इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एपलाइड न्युट्रिशन, ग्वालियर

8.1 कार्यकारी विकास केन्द्र की अवसंरचना के सृजन पर निष्फल व्यय

इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नालॉजी एंड एपलाइड न्यूट्रीशियन, ग्वालियर द्वारा निर्मित कार्यकारी विकास केंद्र अपने पूर्ण होने के बाद से अधिकतर निष्क्रिय रहा तथा अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हुआ।

इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटिरंग टेक्नोलॉजी एंड एपलाइड न्युट्रिशन, ग्वालियर (आईएचएम) ने आईएचएम, ग्वालियर के विद्याधियों को प्रशिक्षण देने तथा संस्थान के लिए अधिशेष राजस्व मृजित करने के उद्देश्य से 2013-14 के दौरान अपने परिसर में एक कार्यकारी विकास केन्द्र (ईडीसी) का निर्माण किया था। इस संबंध में, राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद (एनसीएचएम) द्वारा फरवरी 2005 में ईडीसी हेतु योजना प्रस्तुत की गई तथा पर्यटन मंत्रालय (एनओटी) ने ₹3.00 करोड़ जिसे ₹3.90 करोड़ तक संशोधित किया गया (नवम्बर 2009), की केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सहित एक प्रशासनिक संस्वीकृति ईडीसी की स्थापना हेतु जारी की गई (30 मार्च 2007) जिसमें संस्थान के विद्यार्थियों को ऑन-हैंड प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 20 कमरे बनाने की योजना बनाई गई थी।

संस्थान ने मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (एमपीएसटीडीसी) के माध्यम से ईडीसी का निर्माण कार्य किया (अप्रैल 2010 से मार्च 2014) तथा आईएचएम को सितम्बर 2013 से मार्च 2014 के दौरान ईडीसी सौंप दिया गया। ₹3.60 करोड़ के अनुदान तथा इस पर अर्जित ब्याज (₹0.34 करोड़) में से, आईएचएम ने एमपीएसटीडीसी के विभागीय प्रभारों सिहत अप्रैल 2010 से मई 2013 के दौरान निर्माण लागत के प्रति ₹3.65 करोड़ व्यय किए तथा शेष ₹0.29 करोड़ की निधि अगस्त 2014 में एमओटी को अभ्यर्पित कर दी। इसके अलावा, संस्थान ने ईडीसी के लिए फर्नीचर तथा उपकरण की

अधिप्राप्ति के प्रति ₹0.67¹ करोड़ का अन्य व्यय किया था। इस प्रकार, संस्थान द्वारा ईडीसी के लिए कुल ₹4.32 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा ने परियोजना की योजना तथा क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां पाई:

- ईडीसी को आरंभ में 30 वर्षों के लिए निर्माण, परिचालन तथा हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर कुछ प्रतिष्ठित होटल श्रृंखला द्वारा परिचालित किया जाना प्रस्तावित था (सितम्बर 2005)। तथापि, सलाहकार (मै. आकृति कंसल्टेंसी) की रिपोर्ट जो यह बताती है कि परियोजना बीओटी आधार पर व्यवहार्य नहीं हो सकती, पर विचार करते हुए, संस्थान ने स्वयं ईडीसी का निर्माण करने के लिए संस्थान को अनुमित देने हेतु एनसीएचएम से सम्पर्क किया (अक्टूबर 2005) जिसे एमओटी द्वारा अनुमित दी गई थी (मार्च 2007)। तथापि, निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व स्व-वहनीय आधार पर परियोजना की व्यावहारिता निर्धारित करने के लिए संस्थान द्वारा कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया। ऐसा केवल नवम्बर 2012 (अर्थात् निर्माण कार्य देने के 34 माह पश्चात) हुआ था जब संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक व्यवसायिक एजेंसी द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन करवाने के लिए संस्थान के प्रमुख को निर्देश दिया। तथापि, व्यवहार्यता अध्ययन के विचार को बाद में बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत बहूत ज्यादा दरों के संदर्भ में बोर्ड द्वारा छोड दिया गया था।
- अगस्त 2014 में, एमओटी से ईडीसी के लिए परिचालनात्मक सहायता (अर्थात् बिक्री तथा विपणन) मांगते समय, संस्थान ने स्वयं स्वीकार किया कि यदि असंभव नही है, तो भी ईडीसी का संपोषण करना बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यह शहर के बाहरी इलाके में स्थित है तथा उचित विपणन के बिना मेहमानों को

¹ यह व्यय एमओटी से फर्नीचर तथा उपकरण हेतु ₹1.09 करोड़ की मंजूरी (जुलाई 2012) के प्रति ₹2.32 लाख की सीमा तक व्यय किया गया था। अनंतिम अनुदान के प्रति 2017-18 के दौरान ₹64.47 लाख का व्यय किया गया था जिसे आईएचएम की बहियों में भारत सरकार, एमओटी से ऋण के रूप में परिलक्षित किया गया था।

आकर्षित नहीं कर सकता जो दर्शाता है कि ईडीसी के परिचालनात्मक होने की संभावना आरंभिक चरण से ही कम थी।

- ईडीसी को अभी पूर्ण रूप से परिचालनात्मक होना था क्योंकि एमओटी से उपकरणों एवं फर्नीचर हेतु मांगी गई ₹1.33 करोड़ की वित्तीय सहायता अभी लंबित थी। इसके अलावा, ईडीसी पर सुरक्षा, गार्डनिंग, विद्युत/ डीजी सेट/ हाउसकीपिंग/ जल प्रभार, निगम कर आदि पर आवर्ती व्यय था। संस्थान ने सुरक्षा, गार्डनिंग के प्रति अप्रैल 2014 से जुलाई 2019 के दौरान ₹0.28 करोड़ का व्यय किया तथा शेष व्यय को पृथक रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सका क्योंकि इसे संस्थान द्वारा संपूर्ण रूप में संगणित किया गया था।
- लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि संस्थान द्वारा 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान योजनित प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं थे क्योंकि इन दोनों वर्षों में प्रत्येक के दौरान कुल 50 प्रतिभागियों के लिए केवल दो बैच की योजना बनाई गई थी। इसके अलावा, 2016-17 के बाद से किसी प्रशिक्षण की योजना नहीं बनाई गई तथा ईडीसी अधिकतर निष्क्रिय रहा।

संस्थान ने अपने उत्तर (जुलाई 2019) तथा आगामी स्पष्टीकरणों (अगस्त 2019) में यह स्वीकृत किया कि परियोजना को आरंभ करने से पूर्व परियोजना की व्यावहारिकता निर्धारित करने के लिए कोई व्यवहार्यता अध्ययन नहीं किया गया। संस्थान ने आगे कहा कि उन्होंने एमपीएसटीडीसी, जिन्जर हाटेलायर्स, ओवाईओ, ट्रीबों आदि जैसे होटलों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए प्रयास किए थे तथा उन्होंने सरकारी/ निजी संस्थानों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों, संगठनों से उनके समारोह तथा कार्यक्रमों को प्रबंधित करने के लिए सम्पर्क किया। उन्होंने आगे कहा कि विद्यार्थियों को दैनिक दिनचर्या के अनुसार ईडीसी के गृह व्यवस्था के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है।

तथ्य यह है कि ईडीसी का निर्माण प्रशिक्षण देने तथा संस्थान के लिए अधिशेष राजस्व सृजित करने के लिए इसकी व्यवहारिकता हेतु कोई व्यवहार्यता अध्ययन किए बिना किया गया। इसके परिणामस्वरूप, ₹4.32 करोड़ की लागत से निर्मित ईडीसी अपने पूर्ण होने के बाद से अधिकतर निष्क्रिय रहा तथा तत्पश्चात संस्थान द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हुआ।

मंत्रालय को यह मामला दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2020)।

नई दिल्ली

दिनांक: 4 अगस्त 2020

*(*१) कमार)

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) तथा अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 5 अगस्त 2020

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक